

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न० राजस्व वाद 494/2016

प्रार्थीगण :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रूगनाथसिंह पुरोहित
निवासी आराबा दुदावतान तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रामसिंह पुत्र रूगनाथसिंहजी
2. अर्जुनसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
3. सिमुकवर बेवा भगवानसिंह
4. अणदसिंह पुत्र भगवानसिंह
5. कानसिंह पुत्र भगवानसिंह
6. किरणसिंह पुत्र भगवानसिंह
7. कमलादेवी पुत्री भगवानसिंह
8. पूनमदेवी पुत्री भगवानसिंह
9. घेवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति पुरोहित निवासी आराबा दुदावतान तहसील जिला बाडमेर
10. हल्का पटवारी, आराबा तहसील पचपदरा।
11. ग्राम पंचायत आराबा चौहान जरिये सरपंच
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।
13. एस.बी.बी.जे शाखा कल्याणपुर जरिये मैनेजर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट


- उपस्थित :-
1. श्री बाबुलाल प्रार्थीगण वकील
 2. श्री लूणकरण शर्मा विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :- 11.1.2018

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी खेत मौजा आराबा दुदावता के खसरा 258 रकबा 18.07 बीघा, खसरा न० 264 रकबा 11.07 बीघा, खसरा न० 272 रकबा 6.14 बीघा, खसरा न० 280 रकबा 14.01 बीघा, खसरा न० 319 रकबा 13.08 बीघा, खसरा न० 339 रकबा 5 बीघा, खसरा न० 668/114 रकबा 23.10 बीघा, खसरा न० 665/145 रकबा 14.03 बीघा खसरा ल० 863/445 रकबा 15.18 बीघा, खसरा न० 898/503 रकबा 23.13 बीघा, खसरा न० 905/509 रकबा 8.14 बीघा, खसरा न० 889/491 रकबा 15 बीघा में प्रार्थी मेहन्द्र सिंह की जगह राजस्व रेकर्ड में मांगूसिंह दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम मांगूसिंह का राजस्व रेकर्ड से




सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हटाया जाकर मेहन्द्रसिंह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावो एवं इसी माफिक राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्त करावें।

प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थी का भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में मेहन्द्र राजपुरोहित दर्ज तथा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम मेहन्द्रसिंह दर्ज है ग्राम पंचायत आराबा द्वारा जारी पहचान पत्र व प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम मेहन्द्रसिंह होना बताया है तथा मेहन्द्रसिंह व मांगूसिंह एक ही व्यक्ति होना जाहिर किया है। अन्य सभी दस्तावेजों में मेहन्द्रसिंह दर्ज किया हुआ है। मांगूसिंह नाम घरेलू बोलचाल की भाषा में बोला जाता है।

विप्रार्थी संख्या - 1 ता 9 की और से वकील विप्रार्थी ने जबाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी मांगूसिंह की जगह राजस्व रेकॉर्ड में मांगूसिंह के जगह मेहन्द्रसिंह दर्ज किया जाता है तो हम विप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है।

विप्रार्थी संख्या -12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पंचपदरा ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/1514 दिनांक 19.12.2017 से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में मांगूसिंह के स्थान पर मेहन्द्रसिंह पुत्र रूगनाथ दर्ज करने की अनुशंसा की है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा प्रार्थना पत्र संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज, प्रमाण पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट, मौका फर्द, पहचान पत्रो व राजस्व रेकॉर्ड का भली-भातिं अवलोकन कर मनन किया गया ।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अराबा दुदावता में प्रार्थी की खातेदारी में मांगूसिंह के स्थान पर मेहन्द्रसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व रेकॉर्ड में मांगूसिंह के स्थान पर उक्त भूमि खेत खसरा ग्राम आराबा दुदावता के खसरा 258 रकबा 18.07 बीघा, खसरा न0 264 रकबा 11.07 बीघा, खसरा न0 272 रकबा 6.14 बीघा, खसरा न0 280 रकबा 14.01 बीघा, खसरा न0 319 रकबा 13.08 बीघा, खसरा न0 339 रकबा 5 बीघा, खसरा न0 668/114 रकबा 23.10 बीघा, खसरा न0 665/145 रकबा 14.03 बीघा खसरा न0 863/445 रकबा 15.18 बीघा, खसरा न0 898/503 रकबा 23.13 बीघा, खसरा न0 905/ 509 रकबा 8.14 बीघा, खसरा न0 889/491 रकबा 15 बीघा में मेहन्द्रसिंह पुत्र रूगनाथसिंह दर्ज किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 11.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भगरीथ राम)
सहायक सिलेक्टर,
शिलोहरा